माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

म.प्र. के समक्ष

3454-PBR-16

रिव्यू याचिका /2016

याचिकाकर्ता .... 1. डॉ. महेन्द्र पाटनी पिता श्री सोहनलाल जी पाटनी
उम्र– वयस्क,
निवासी– हफीज कॉलोनी मंदसौर, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

विरूद्ध

विपक्षीगण .... 1. श्री कृष्णा राव पिता श्री बलवन्त राव
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– जनकुपुरा मंदसौर, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

2. श्रीमति कंचनबाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जी जोशी
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– परदेशीपुरा इंदौर, जिला–इंदौर (म.प्र.)

3. श्रीमति गिरीजाबाई पत्नि श्री नन्दकिशोर जी
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– डेराश्री विवेकानन्द कॉलोनी जावरा, जिला–रतलाम

4. श्रीमति उषाबाई पत्नि श्री सुरेश जी मण्डलोई
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– बामना गली मंदसौर, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

5. श्रीमति साधना पत्नि श्री अशोक माण्डलीक
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– द्वारकापुरी इंदौर, जिला–इंदौर (म.प्र.)

6. श्रीमति अनीता पत्नि श्री औमप्रकाश जी शर्मा
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– दर्जी बाखल मानवर, जिला–धार (म.प्र.)

7. धर्मेन्द्र पिता श्री मल दुबे
उम्र– 61 वर्ष, व्यवसाय– पुजारी
निवासी– द्वारकापुरी इंदौर, जिला–इंदौर (म.प्र.)

दिनांक 3.10.16 को श्री [illegible] पटवा [illegible] द्वारा प्रस्तुत।
3.10.16
SO
3.10.16

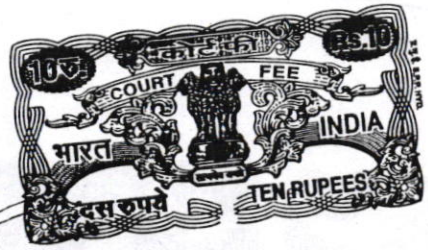

रिव्यू याचिका अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 एवं धारा 151 सी.पी.सी. 1908 के अंतर्गत

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. श्री मनोज जी गोयल साहब द्वारा निगरानी क्रमांक आर–141 एक/2005 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3454–पीबीआर/2016 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–11–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 141–एक/2005 में पारित आदेश दिनांक 4–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	